which include reservation quotas on certain trains, travelling on Indrail Passes purchased by them and package tour on special train called 'Palace on Wheels'.

देश में नए क्षेत्रों के लिए विमान सेवा

13. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 के दौरान देश के किन-किन भागों में नई विमान सेवाएं आरंभ की गई हैं ; और

(ख) इनमें से कौन-कौन सी ऐसी विमानन सेवाएं हैं ; जो पहले संचालित की जा रही थीं और जिन्हें इस अवधि के दौरान निरस्त कर दिया गया ; साथ ही उन्हें निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, कोई नहीं । तथापि, वायुदूत ने लखनऊ कानपुर और पांडिचेरी के लिए अपनी सेवाएं पुनः चालू कर दी हैं ।

(ख) जुलाई 1991 के दौरान श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर क्षेत्र पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं परिचालनात्मक कारणों से बन्द कर दी गई थी और दिल्ली-पंतनगर-दिल्ली क्षेत्र पर वायुदूत की सेवाएं मानसून शुरू हो जाने के कारण बंद कर दी गई थी ।

"डेसु" द्वारा लगाये गये निषेधात्मक आदेश

14. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 29 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1022 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हाल ही में वातानुकूलन यंत्रों तथा निम्नान साइनबोर्डों के प्रयोग के संबंध में लगाये गये निषेधात्मक आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें उपरोक्त निषेधात्मक आदेशों का जनता द्वारा उल्लंघन किया गया है ; और

(ग) उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली नियंत्रण आदेश, 1959 की धारा 4(6) के अधीन निम्नान साइनों और धारा 4(11) के अधीन वातानुकूलन यंत्रों हेतु 6.30 सांयकाल से 10.00 रात्रि तक के लिए भार (लोड) पर इस समय पहले से ही लागू निषेधात्मक आदेशों के अलावा निम्नलिखित प्रतिबन्धों को अपनाए जाने के लिए जुलाई, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्रैस विज्ञापनों के माध्यम से भी डेसू द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई थी :—

"1. निम्नान साइनों सजावटी लाइटें, विज्ञापनों, दुकान की खिड़की में सामग्री का प्रदर्शन और फव्वारे की लाइट का स्वीच आन न करें ।

2. वातानुकूलन यंत्रों का उपयोग न करें ।

3. व्यस्ततमकालीन भार/प्रतिबन्धों के दौरान (6.39 सांय से 9.30 सायं) उद्योग का प्रचालन न करें ।

4. जब कभी आवश्यकता न हो तो लाइट, फेन, कूलर आदि का स्वीच आन न रखें ।"

(ख) और (ग) 1-7-1991 से 21-8-1991 तक यथोक्त निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने के लिए वातानुकूलन से सम्बन्धित 647 मामलों और निम्नान साइनों से सम्बन्धित 923 मामलों का डेसू द्वारा पता लगाया गया था । निषेधात्मक